(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2024/194 बअनवान फूलाराम बनाम दिनेश कुमार वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री हिम्मत धनेरा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 के कामु के अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073–2076 के अध्ययन से ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 253/4 रकबा 0.36 हैक्टर नगरपालिका खुडाला फालना के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2073–77 में दर्ज इन्द्राज अनुसार ग्राम जादरी के खसरा नंबर 253/2 रकबा 0.44 हैक्टर भी नगरपालिका खुडाला के नाम दर्ज होना ज्ञात है तथा दोनों ही भूमियां अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा नगरपालिका खुडाला–फालना से संपरिवर्तित कराया जाना भी प्रस्तुत आदेशों की प्रतियों से प्रमाणित है। इसके साथ ही अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवासीय प्लान के अनुसार खसरा नंबर 253/2 रकबा 0.44 हैक्टर में आवासीय भूखंड भी काटे जा चुके है। इस प्रकार प्रस्तुत तथ्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रहकर आवासीय प्रयोजनार्थ सपंरिवर्तनशुदा भूमि रहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला बनना, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। तथा साथ ही वादग्रस्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तनशुदा होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with OKEN Scanner